RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 25 / 2025, GCMS NO:- 2025/146

अपीलांट–

1. श्री रतनाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट, निवासी औकातिया बेरा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्री दीपाराम पुत्र सोनाराम
2. श्री हीराराम पुत्र सोनाराम
3. श्री खेताराम पुत्र तेजाराम
4. श्री टीकमाराम पुत्र तेजाराम
5. श्री सवाईराम पुत्र तेजाराम
6. श्रीमती अणसीदेवी पत्नी चौथाराम
7. श्री रावलराम पुत्र चौथाराम जातियान जाट, निवासीयान औंकातिया बेरा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।
8. श्री तहसीलदार, पाटोदी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./09/12 दिनांक 16.02.2013 के दौरान तहसीलदार पचपदरा(वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री रमेश कुमार सियाग, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 8 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 25.11.2025

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा (वर्तमान पाटोदी) के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./09/12 दिनांक 16.02.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26.08.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा ओंकातिया बेरा, पटवार मण्डल नवातला, तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा के खेत खसरा संख्या 222 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 224 रकबा 164.01 बीघा, खसरा संख्या 256 रकबा 10.12 बीघा, खसरा संख्या 261 रकबा 59.18 बीघा तथा संयुक्त रकबा 235 बीघा 03 विस्वा के खातेदारान अपीलांटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.02.2013 को तहसीलदार

जिला कलक्टर
बालोतरा

पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./09/12 दिनांक 16.02.2013 पारित किया गया। अपीलांटगण ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.08.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी भुमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 की भुमि मौजा ओंकातिया बेरा, पटवार मण्डल नवातला, तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा के खेत खसरा संख्या 222 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 224 रकबा 164.01 बीघा, खसरा संख्या 256 रकबा 10.12 बीघा, खसरा संख्या 261 रकबा 59.18 बीघा तथा संयुक्त रकबा 235 बीघा 03 विस्वा, में अवस्थित है। उक्त आलोच्य भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी की थी। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 ता 7 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेती का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहमी बंटवाड़ा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक पृथक खातेदारी अंकन करने का अपीलांट को कहा गया जिस पर अपीलांट ने रेस्पीडेन्ट सं० 1 ता 7 एक ही खानदान से होने से उन पर विश्वास करते हुए सहमति दी थी, जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्टमण सं० 1 ता 7 ने पटवारी से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा अनुसार तैयार करने को कहा। इसी अनुसार खेतो में लाईन डालकर विभाजन किया जाये। जिस पर पटवारी ने समस्त खेतों का विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया। अपीलांट,

जिला कलक्टर
बालोतरा

रेस्पोडेन्टगण व पटवारी के विश्वास पर रहा। रेस्पोडेन्टगण सं० 1 से 7 में पटवारी से मिलावट कर उसको प्रभावित कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन समझौता प्रस्ताव संलग्न नक्शे पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अपीलांट को मुगालते में रखते हुए करवा के पटवारी ने रेस्पोडेन्ट सं० 8 तहसीलदार पचपदरा से तस्दीक करा दिया। इस विभाजन के संबध में तैयार नक्शे का ज्ञान अपीलांट को पूर्व में नहीं हुआ क्योकि अपीलांट अशिक्षित ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है एवं रेस्पोडेन्ट 1 से 7 व पटवारी के विश्वास व आश्वासन पर रहे जिसका फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट सं० 1 से 7 ने गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव करवा दिया तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्टगण सं० 1 द्वारा अपीलांट की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जाने लगा रेस्पोडेन्ट सं० 1 से 7 ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार काश्त नहीं कर वर्तमान नक्शे में की गई तरमीम के अनुसार कब्जा करने हेतु कहा गया जिस पर अपीलांट को तरमीम के बारे में संशय पैदा हुआ तथा अपीलांट ने रेकर्ड की जांच की तो पता चला कि सहमति से विभाजन में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं की गई। वर्तमान नक्शे की तरमीम मौके पर पक्षकारान के कब्जे में भारी भिन्नता है। पक्षकारान का कब्जा एक दूसरे के हिस्से में आ रहा है। उक्त आलोच्य विभाजन को निरस्त कर पुनः कब्जा काश्त के अनुसार नये सिरे से बंटवाडा करने हेतु रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 7 भी सहमत है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को आशिंक निरस्त करने, अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 की आराजी का पुनः बटवाड़ा करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पचपदरा (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) को रिमाण्ड का आदेश प्रदान करावे।

5. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 7 के अधिवक्ता दौराने बहस यह कथन कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी भुमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 की भुमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 की भुमि मौजा ओंकातिया बेरा, पटवार मण्डल नवातला, तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा के खेत खसरा संख्या 222 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 224 रकबा 164.01 बीघा, खसरा संख्या 256 रकबा 10.12 बीघा, खसरा संख्या 261 रकबा 59.18 बीघा तथा संयुक्त रकबा 235 बीघा 03 विस्वा, में अवस्थित है। उक्त आलोच्य भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी की थी। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत तहसीलदार पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पाटोदी के विभाजन आदेश के आधार विभाजन

जिला कलक्टर
बालोतरा

किया गया। अपीलाधीन आराजी का बंटवाड़ा मौका पर जाकर तैयार नही किया गया। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा जल्दबाजी में आकर केवल मात्र खाना पूर्ति हेतु आनन फानन से स्वीकार कर दिया गया। उक्त आलोच्य विभाजन वर्तमान मौका एवं कब्जा काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। समस्त रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 उक्त आलोच्य विभाजन को निरस्त कर पुनः नये सिरे से बंटवाड़ा करवाने हेतु सहमत है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को आशिंक निरस्त करने, अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 की आराजी का पुनः बटवाड़ा करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पाटोदी को रिमाण्ड करने का आदेश फरमावे।

6. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेंटगण द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा ओंकातिया बेरा, पटवार मण्डल नवातला, तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा के खेत खसरा संख्या 222 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 224 रकबा 164.01 बीघा, खसरा संख्या 256 रकबा 10.12 बीघा, खसरा संख्या 261 रकबा 59.18 बीघा तथा संयुक्त रकबा 235 बीघा 03 विस्वा के खातेदारान अपीलांट व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.02.2013 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./09/12 दिनांक 16.02.2013 पारित किया गया। चूंकि पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में समस्त पक्षकारान के सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार पुनः बंटवाड़े हेतु रजामंद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपीलाधीन

जिला कलक्टर
बालोतरा

आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक/भू.अ./09/12 दिनांक 16.02.2013 को अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार तहसीलदार पचपदरा (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए एव पक्षकारों को सुनकर पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलेक्टर, बालोतरा